संख्या: 170856 /XXX(2)/2023/E-33080

प्रेषक,

शैलेश बगौली
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 24- नवम्बर, 2023

विषय: उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में विकलांग (दिव्यांग) की परिभाषा में आंशिक परिवर्तन।

महोदय,

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में उल्लिखित प्रावधान के आलोक में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदत्त संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 3(ङ) "विकलांगता" की परिभाषा को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

विकलांगता (दिव्यांगता) से ऐसी विकलांगता अभिप्रेत है, जिसमें पूर्ण अन्धापन, दोनों पांव रहित, एक अपूर्ण पांव, लकवाग्रस्त (एक हाथ या एक पांव) अथवा प्रतिशत विकलांगता के सन्दर्भ में चालीस प्रतिशत से अन्यून विकलांगता सम्मिलित है ;

अतः उपरोक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 24-11-2023 11:06:56 (शैलेश बगौली)
सचिव।

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
4. प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
5. गार्ड फाईल।

(आलोक कुमार सिंह)
उप सचिव।

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 24/11/2023 04:50 PM